

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा/डीएलबी/14एफसी/परफो./2016-20/2194

दिनांक: 27.03.2017

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय : 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कार्य निष्पादन अनुदान राशि बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

निर्देशानुसार चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान राशि रुपये 17700.00 लाख में से आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली निम्न नगर परिषद/पालिकाओं को राशि रुपये 12868.16 लाख (अक्षरे रुपये एक अरब अठ्ठाईस करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए आवंटित किये जाने हेतु विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

- 2217 - शहरी विकास
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(37) - 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान
[02] - 14वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना भिन्न)

बजट प्रावधान

स्वीकृत प्रावधान	12328.05
पुनर्विनियोजन	3528.56
पूर्व स्वीकृति पर व्यय	2988.45
इस स्वीकृति पर व्यय	12868.16
शेष	0.00

(Amount in lacs)

क्र. सं.	नाम निकाय	स्वयं के हिस्से की राशि का आवंटन	अवशेष राशि पुनर्वितरण करने पर आवंटन	कुल आवंटन
1	Kherthal	78.46	223.01	301.47
2	Tijara		154.49	154.49
3	Balotra		218.62	218.62
4	Nokha		332.19	332.19
5	Gulabpura		172.58	172.58
6	Gangapur		108.86	108.86
7	Jhajpur		125.04	125.04
8	Nadbai		154.31	154.31
9	Nagar	47.44	134.15	181.59
10	Chabra		167.19	167.19
11	Bundi		279.39	279.39
12	Keshavraopatan	56.30	160.80	217.10
13	Indergarh		60.11	60.11
14	Chittorgarh		341.80	341.80
15	Nimbaheda		330.63	330.63
16	Kapasan		141.96	141.96
17	Dausa		226.05	226.05
18	Bandikui	83.66	236.71	320.37
19	Lalsot		186.72	186.72
20	Bari		340.52	340.52
21	Raisingh nagar		149.69	149.69
22	Keshringpur		77.26	77.26
23	Suratgarh		371.52	371.52

क्र. सं.	नाम निकाय	स्वयं के हिस्से की राशि का आवंटन	अवशेष राशि पुनर्वितरण करने पर आवंटन	कुल आवंटन
24	Gajsinghpur		52.91	52.91
25	Nohar		264.23	264.23
26	Jaisalmer		246.22	246.22
27	Sambhar		120.88	120.88
28	Kishangarh Rainwal	58.36	165.70	224.06
29	Bagru	71.27	203.53	274.80
30	Jhalawar		179.56	179.56
31	Jhalrapatan		217.73	217.73
32	Jhunjhunu		350.91	350.91
33	vidhyavihar		86.01	86.01
34	Pipadcity		232.98	232.98
35	Bilara		214.27	214.27
36	Ramganjmandi		223.44	223.44
37	Mertacity	93.74	266.34	360.08
38	Didwana		291.02	291.02
39	Parwatsar		86.44	86.44
40	Kuchera		206.39	206.39
41	Mundawa	39.16	111.91	151.07
42	Sojatcity		287.58	287.58
43	Sadri		258.86	258.86
44	Bali		165.56	165.56
45	Falna		160.59	160.59
46	Rajsamand		250.65	250.65

क्र. सं.	नाम निकाय	स्वयं के हिस्से की राशि का आवंटन	अवशेष राशि पुनर्वितरण करने पर आवंटन	कुल आवंटन
47	Devgarh	42.84	122.66	165.50
48	Swaimadhopur		321.93	321.93
49	Sikar	169.29	635.06	804.35
50	Ramgarh Shekhawati		175.14	175.14
51	Shrimadhopur		193.53	193.53
52	Neem Ka Thana	73.31	208.23	281.54
53	Ringus		174.19	174.19

क्र. सं.	नाम निकाय	स्वयं के हिस्से की राशि का आवंटन	अवशेष राशि पुनर्वितरण करने पर आवंटन	कुल आवंटन
54	Todabheem		125.84	125.84
55	Sumerpur		200.40	200.40
56	Niwai	77.33	219.78	297.11
57	Todaraisingh	67.75	195.18	262.93
	Total	958.91	11909.25	12868.16

आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे। यदि राशि का व्यय दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया तो निकाय के आयुक्त/अधिकाधिकारी व लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी उस कृत्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 271700137 दिनांक 17.03.2017 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा / डीएलवी / 14एफसी / परफो. / 2016-20 / 20995-21256 दिनांक 17.03.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
05. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
07. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के क्रम में बजट का आवंटन कर दिया गया है अतः कोषालय से बिल पारित करवाकर अविलम्ब राशि का हस्तान्तरण विभाग के ICICI बैंक खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं उक्त स्वीकृति अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से राशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तान्तरित करावे।
14. आयुक्त/अधिकाधिकारी, समस्त नगर परिषद/पालिका, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निकाय के सम्मुख अंकित राशि निकाय के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावे। यदि उक्त राशि निकाय के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नहीं होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141-2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। इस राशि का उपयोग आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे।
15. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त राशि के हस्तान्तरण की सूचना आपके क्षेत्राधिकार की निकायों से संकलित कर सुनिश्चित करावे।
16. शाखा प्रबन्धक, ICICI Bank Ltd., राजापार्क शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित निकायों के बैंक खाते में अविलम्ब हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावे।
17. प्रभारी वेब साईट, निदेशालय/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
18. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा/सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी